(2) केंद्रीय उत्पादशुल्क (अग्रिम विनिर्णय) नियमावली 2002 में, नियम 2 में, खंड (ख) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्-

'(ख) "प्राधिकरण" का अर्थ सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28ड. के खंड (ड.) में अग्रिम विनिर्णय के लिए यथा परिभाषित प्राधिकरण से है;'।

[फा. सं.275/38/2016-सीएक्स.8ए]

या. स. कारू, अवर सचिव

टिप्पणी: प्रधान नियमावली भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 55/2002-सीशु (गै.टै.) दिनांक 23 अगस्त, 2002 के तहत प्रकाशित हुई थी जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 23 अगस्त, 2002 के सा.का.नि. 593(ड.) के तहत प्रकाशित हुई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2017

No. 8/2017–CENTRAL EXCISE (N.T.)

G.S.R. 316(E).— In exercise of the powers conferred by section 37 read with sub-section (1) and (3) of section 23C and sub-section (7) of section 23D of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Excise (Advance Rulings) Rules, 2002, namely :-

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Advance Rulings)Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2017.

2. In the Central Excise (Advance Rulings) Rules, 2002, in rule 2, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :-

'(b) "Authority" means the Authority for Advance Rulings as defined in clause (e) of section 28E of the Customs Act, 1962 (52 of 1962);'.

[F. No.275/38/2016-CX.8A]

Y. S. KAROO, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, vide Notification No. 55/2002-Cus(N.T.) dated the 23rd of August, 2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R 593(E), dated the 23rd of August, 2002.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2017

सं. 12/2017-सेवा कर (गै. टै.)

सा.का.नि. 317(अ).—वित्त अधिनियम, 1994 (32 का 1994) की धारा 96 ग की उपधारा (1) और (3) तथा धारा 96 घ की उपधारा (7) के साथ पठित धारा 96-झ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सेवा कर (अग्रिम विनिर्णय) नियमावली, 1994 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. (1) ये नियम, सेवा कर (अग्रिम विनिर्णय) संशोधन नियमावली, 2017 कहे जा सकेंगे।

(2) ये अप्रैल, 2017 की पहली तारीख से प्रभावी होंगे।